

## आदेश

श्री छेदी सिंह, चौकीदार 4/6, साकिन- कजरिया, थाना- राजपुर, अंचल- राजपुर, जिला- बक्सर के द्वारा बिहार चौकीदार संवर्ग (संशोधन) नियमावली- 2014 में निहित प्रावधान के आलोक में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तहत अपने आश्रित पुत्र श्री नितेश यादव को चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु अनुरोध पत्र दिनांक- 12.09.2020 को दाखिल किया गया है, जिसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की इच्छित तिथि 31.10.2020 अंकित है। श्री छेदी सिंह के सेवापुस्त के आधार पर उनकी जन्मतिथि- 06.11.1960 एवं नियुक्ति की तिथि 01.01.1990 है। तदनुसार इनके आवेदन दाखिला की तिथि 12.09.2020 को इनकी सेवा अवधि 30 वर्ष, 08 माह, 11 दिन एवं उम्र 59 वर्ष, 10 माह, 06 दिन है। इनके पुत्र श्री नितेश यादव की जन्म तिथि 01.01.2001 तथा सीनियर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बिहार सरकार गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना ज्ञापांक-1/चौ0-90-01/2014 गृ0आ0 1896/पटना, दिनांक- 05.03.2014 द्वारा बिहार चौकीदार संवर्ग (संशोधन) नियमावली- 2014 गठित की गयी है। इसकी कंडिका- 03 में चौकीदार संवर्ग नियमावली- 2006 के नियम- 5 के उपनियम- (7) के बाद निम्नांकित प्रावधान जोड़े गये हैं :-

- (क) चौकीदार संवर्ग के कर्मचारी अपनी वार्धक्य सेवानिवृत्ति की तिथि से कम से कम एक माह पूर्व के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एवं चौकीदार पद पर अपने द्वारा नामित किसी आश्रित को नियोजित करने के लिए आवेदन कर सकेगा।
- (ख) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर अवधारित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र-सीमा संबंधी प्रावधान उन पर लागू रहेगा।
- (ग) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियुक्त व्यक्ति के आश्रित को इस परन्तुक का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।
- (घ) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का इच्छुक चौकीदार संवर्ग के व्यक्ति को सेवानिवृत्ति की अपनी इच्छित तिथि से कम से कम एक माह पूर्व अपने पदस्थापन जिला के जिला पदाधिकारी को अपना आवेदन देना होगा।

इसके अतिरिक्त यथावर्णित संशोधन नियमावली की कंडिका-2 के द्वारा चौकीदार संवर्ग नियमावली- 2006 के नियम-2 के उपनियम (5) के बाद निम्नलिखित उपनियम क्रमशः (6) एवं (7) जोड़ी गयी है, जो निम्न प्रकार है :-

- “(6) 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पात्र व्यक्ति' से अभिप्रेत है जैसे चौकीदार/दफादार जिसकी अर्हक सेवा 20 वर्षों की हो गयी हो तथा उनकी उम्र 55 वर्ष से कम न हो।
- (7) 'आश्रित' से अभिप्रेत है सरकारी सेवक की पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री एवं विधवा पुत्र-वधु, जिसने पुर्नविवाह न की हो।”

चौकीदार श्री छेदी सिंह के आश्रित पुत्र का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, वंशावली प्रमाण पत्र, अनियोजन प्रमाण पत्र, श्री छेदी सिंह, चौकीदार के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई नहीं चलने संबंधित प्रतिवेदन, अंतिम वेतन प्रमाण पत्र आदि कागजात अंचलाधिकारी, राजपुर एवं पुलिस अधीक्षक, बक्सर से प्राप्त होने के पश्चात् इस मामले को विचारार्थ दिनांक- 05.01.2021 को आयोजित चौकीदार स्थापना समिति की बैठक में रखा गया। गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत ज्ञापांक-1/चौ0-90-01/2014 गृ0आ0 1896/पटना, दिनांक- 05.03.2014 से गठित बिहार चौकीदार संवर्ग (संशोधन) नियमावली- 2014 में निहित प्रावधान एवं विभागीय पत्रांक- 8442 दिनांक 23.10.2017, पत्रांक- 1563 दिनांक- 22.02.2018, पत्रांक- 5444 दिनांक- 22.06.2018 तथा पत्रांक- 7346, दिनांक- 04.09.2019 के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से श्री छेदी सिंह, चौकीदार को दिनांक- 31.10.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देते हुए उनके पुत्र श्री नितेश यादव का शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के पश्चात् चौकीदार के पद पर वेतनमान- पी0बी0- 01-5200-20200, ग्रेड-पे 1800 के लेवल-1 में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्राप्त चौकीदार श्री छेदी सिंह के नामित पुत्र श्री नितेश यादव के मैट्रिक का शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन प्रतिवेदन सहायक सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी के पत्रांक- 1781, दिनांक 13.02.2021 से प्राप्त हुआ है। पुलिस अधीक्षक, बक्सर के ज्ञापांक-111/सा0शा0, दिनांक-23.02.2021 द्वारा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसमें अभ्यर्थी श्री नितेश यादव, पिता श्री छेदी सिंह का उल्लेख करते हुए अभ्यर्थी का नाम, पता सही है एवं थाना अभिलेख में कोई शिकायत दर्ज नहीं है, प्रतिवेदित किया गया है।

अतः दिनांक- 05.01.2021 को चौकीदार स्थापना समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में श्री नितेश यादव, पिता- श्री छेदी सिंह, ग्राम- कजरिया, थाना- राजपुर, अंचल- राजपुर, जिला- बक्सर को चौकीदार के पद पर वेतनमान- पी0बी0- 01, 5200-20200, ग्रेड-पे 1800 के लेवल-01 में एवं समय-समय पर सरकार द्वारा अनुमान्य भत्तों के साथ निम्नलिखित शर्तों के साथ नियुक्त किया जाता है :-

1. बिहार चौकीदार संवर्ग (संशोधन) नियमावली- 2014 की कंडिका- 'ग' में निहित प्रावधान के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात नियुक्त व्यक्ति के आश्रित को इस परन्तुक का लाभ अनुमान्य नहीं होगा साथ ही यह सुविधा One time measure है। इस प्रकार नियुक्त आश्रित को पुनः स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर अपने आश्रित को नौकरी हेतु नामित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस आशय की प्रविष्टि संबंधित कर्मियों के सेवापुस्त में निश्चित रूप से अंकित की जाय।
2. यह नियुक्ति परिवीक्षा के आधार पर की गयी है। परिवीक्षा की अवधि 02 वर्ष की होगी। परिवीक्षा की अवधि में इनकी सेवा 01 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। अगर वर्धित अवधि के दरम्यान भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई गयी तो उस परिस्थिति में सेवा समाप्त की जा सकती है।
3. यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी है तथा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना एवं कारण बताये समाप्त की जा सकती है।
4. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत करना होगा।
5. विवाह में तिलक-दहेज नहीं लेने-देने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किये गये कागजातों / शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्य गलत पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई करने के साथ-साथ एक मुश्त वेतन / भत्ता वापस करने के संबंध में बंध पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
7. योगदान के लिए कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।
8. वेतन का भुगतान योगदान स्वीकृति की तिथि से देय होगा।

नियुक्ति पत्र निर्गत होने के 30 दिनों के अंदर यदि योगदान नहीं किया जायेगा तो इनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

६०/

जिला पदाधिकारी,  
बक्सर।

ज्ञापांक...../सा0, दिनांक...../...../2021  
प्रतिलिपि:- श्री नितेश यादव, पिता- श्री छेदी सिंह, ग्राम- कजरिया, थाना- राजपुर, अंचल- राजपुर, जिला- बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि आदेश निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर अंचलाधिकारी, राजपुर के कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा यह माना जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति के लिए इच्छुक नहीं है तथा नियुक्ति रद्द मानी जायेगी।

६०/

जिला पदाधिकारी,  
बक्सर।